न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 52/2020 दायरा दिनांक : 14.09.2020

उनवान

कालू आत्मज श्री धूली लाल, जाति चमार, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– देवीलाल पुत्र मांगी लाल, जाति चमार, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– बाबू लाल पुत्र मांगी लाल, जाति चमार, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– धन्नी बाई पुत्री मांगी लाल, जाति चमार, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– पाना बाई पुत्री मांगी लाल, जाति चमार, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील संख्या 49 / 2020 दायरा दिनांक : 08.09.2020

उनवान

कालू आत्मज श्री धूली लाल, जाति चमार, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– देवीलाल पुत्र मांगी लाल, जाति चमार, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– बाबू लाल पुत्र मांगी लाल, जाति चमार, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– धन्नी बाई पुत्री मांगी लाल, जाति चमार, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– पाना बाई पुत्री मांगी लाल, जाति चमार, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.02.2021

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 221/दावा/2014 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.07.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.01.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 52/2020 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पत्रावली सार संग्रह एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की तलबी भी नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जो सी पी सी के प्रावधानों के विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किये हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई इत्तला करवायी गयी है । अधीनस्थ न्यायालय के आर्डरशीट दिनांक 01.06.2016 पर अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर भी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय को सी पी सी के प्रावधानों के तहत रेस्पोडेंट वादीगणों के बयान लेखबद्ध करवाकर दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाना चाहिए था उक्त कानूनी प्रकिया के अभाव में एक तरफा पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय विधिक निर्णय की तारीफ में नहीं आता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.07.2016 अपास्त किया जावे ।

अपील संख्या 49/2020 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिक्री एवं निर्णय पत्रावली सार संग्रह एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की तलबी भी नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जो सी पी सी के प्रावधानों के विरूद्ध है । भू अभिलेख निरीक्षक पंचोला ने दिनांक 08.09.2016 को भूमि विभाजन का प्रस्ताव बनाने से पूर्व अपीलांट को उक्त पेशी बाबत ना तो नाटिस जारी किया और ना ही अन्य प्रकार से सूचित किया गया तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार साहब तहसील अकलेरा की गैर मौजूदगी में भू अभिलेख निरीक्षक वृत पंचोला द्वारा तैयार की गई थी । जबकि तहसीलदार को विवादित आराजी पर जाकर विभाजन प्रस्ताव अपनी मौजूदगी में तैयार करवाना चाहिए था और राजस्व मण्डल के नियम 1955 के नियम 18 से 21 की विधिवत रूप से पालना कराना चाहिए था परन्तु उसका भी इस निर्णय में अभाव है । अधीनस्थ न्यायालय के आर्डरशीट दिनांक 12.01.2017 पर अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर भी नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 12.01.2017 अपास्त किया जावे ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.08.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जो सी पी सी के प्रावधानों के विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें कोई नोटिस जारी नहीं किये हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई इत्तला दी है । मौका रिपोर्ट तहसीलदार अकलेरा की गैर मौजूदगी में तैयार की गई थी । जबकि तहसीलदार को मौके पर जाकर विवादित आराजी का विभाजन प्रस्ताव अपनी मौजूदगी में तैयार करवाना चाहिए था और राजस्व मण्डल के नियम 1955 के नियम 18 से 21 की विधिवत रूप से पालना भी नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 1992 पेज 17, आर आर डी 1992 पेज 337, आर आर डी 1990 पेज 479, आर आर टी 2003(1) पेज 647, आर आर डी 2019 पेज 206, आर आर डी 2019 पेज 577 एवं ORDER OF EXAMINATIONS सेक्शन 137/138 पेज 1697 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजस्व लोक अदालत दिनांक 23.05.2016 के नोटिस सलंग्न है लेकिन राजस्व लोक अदालत अभियान दिनांक 09.07.2016 के नोटिस पत्रावली में सलंग्न नहीं है । दिनांक 09.07.2016 की आदेशिका पर केवल मात्र अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर हैं, शेष रेस्पोडेंटगण वादीगणों के हस्ताक्षर नहीं हैं। पत्रावली की आदेशिका के निर्णय दिनांक 09.07.2016 में यह अंकित किया गया है कि वादी भी वाद पत्र में जमाबंदी अनुसार हिस्सा पृथक खाते दर्ज कराना चाहता है लेकिन आदेशिका पर उनके किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है, इससे वादीगण रेस्पोडेंट की सहमति अथवा असहमति प्रकट नहीं होती है । विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.09.2016 भी भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिस पर तहसीलदार ने प्रमाणित करके हस्ताक्षर किये हैं, इससे स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार ने मौके पर जाकर तैयार नहीं किया है जो राजस्व मण्डल के नियम 1955 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना नहीं किया जाना पाया जाता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । इस सम्बन्ध में अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आर आर डी 2019 पेज 206 एवं आर आर डी 2019 पेज 577 यहां चस्पा होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 52/2020 एवं 49/2020 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.07.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.01.2017 अपास्त किये जाते हैं

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी, साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करे एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा